प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

यह अधिनियम निम्नलिखित प्रतिष्ठानों पर लागू होता है-

कारखानों, खान, बागान या सरकारी प्रतिष्ठान तथा ऐसे सभी प्रतिष्ठान जहां घुड़सवारी, कलाबारी और अन्य करतबों के प्रदर्शन के लिए लोगों को काम पर रखा जाता है।

कोई दुकान या प्रतिष्ठान जिसमें कम से कम दस व्यक्ति काम करते हों या पिछले बारह महीनों में किसी भी दिन वहां काम करने वालों की संख्या कम से कम दस रही हो।

राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से दो महीने की सूचना देने के पश्चात् इस अधिनियम के सभी या कोई उपबन्ध ा औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि या अन्य प्रकार के किसी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग पर भी लागू कर सकती है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित परिभाषाएं भी दी गई हैं।

मालिक

प्रतिष्ठान जो सरकार के नियंत्रण में है वहां पर निरीक्षण व नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति मालिक कहलाया जाएगा। जहां पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई हो वहां पर विभाग का प्रधान अधिकारी मालिका माना जाएगा।

स्थानीय अथॉरिटी के संबंध में वह व्यक्ति मालिक माना जाएगा जो निरीक्षण व नियंत्रण के लिए नियुक्त किया गया हो। जहां पर ऐसे व्युक्ति नहीं की गई हो वहां पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मालिक माना जाएगा।

किसी अन्य दशा में, वह व्यक्ति जिसका प्रतिष्ठान के कार्य पर पूरा नियंत्रण हो, चाहे वह प्रबन्धक हो या प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्ध अभिकर्ता या किसी और नाम से जाना जाता हो, वह मालिक माना जाएगा।

मजदूरी

किसी महिला को मालिक द्वारा उसके काम के बदले दिया जाने वाला पैसा मजदूरी कहलाता है।

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी आते हैं :-

1. ऐसे नकद भत्ते (जिनके अन्तर्गत मंहगाई भत्ता और आवास भत्ता हैं) जिनकी महिला हकदार हो।

महंगाई एवं आवास भत्ते से अर्थ उस पैसे से है, जो मालिक द्वारा मजदूरी के अलावा महंगाई एवं मकान के किराए आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है। या

2. प्रोत्साहन बोनस, या
3. रियायत पर दिए गए खाद्यान्नों या अन्य वस्तुओं का धन मूल्य

परन्तु मजदूरी में कई चीजें नहीं आती हैं जैसे :-

1. कोई भी बोनस सिवाए प्रोत्साहन बोनस के।
2. समय से ज्यादा काम करने के लिए दिया जाने वाला पैसा (अतिकाल/ओवरटाइम) जुर्माने के लिए की गई कटौती या भुगतान।
3. कोई अंशदान जो मालिक द्वारा पेंशन फंड या भविष्य फंड (निधि) में जमा किया गया है या किया जायेगा या महिलाओं के फायदे के लिए किया गया हो।
4. कोई उपदान (ग्रेच्युटी) जो सेवा की समाप्ति पर दिया जाता है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित समय में महिलाओं से काम कराने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

1. कोई भी मालिक किसी महिला को बच्चे के जन्म से या गर्भपात होने के छः सप्ताह तक काम नहीं करा सकता है तथा महिला भी इस दौरान कहीं काम नहीं करेगी।

2. यदि कोई भी गर्ववती महिला, मालिक से निवेदन करती है तो मालिक गर्भवती महिला से ऐसा कोई भी काम नहीं करवा सकता है, जो कठोर प्रकृति का हो, या जिसमें ज्यादा देर तक खड़ा रहना पड़ता हो, या जिससे उसकी गर्भावस्था या भ्रूण के विकास पर बुरा असर पड़ता हो।

प्रसूति प्रसुविधा के भुगतान का अधिकार :-

प्रत्येक महिला बच्चे के जन्म के एक दिन पहले से लेकर जब तक वह इस अधिनियम के अन्तर्गत छुट्टी पर रहती है प्रसूति प्रसुविधा की हकदार होगी, जो उसे मालिक द्वारा दी जाएगी।

प्रसुति प्रसुविधा उस महिला को पिछले तीन महीनों में मिली मजदूरी के औसत के अनुसार तय की जाएगी।
महिला ज्यादा से ज्यादा बारह सप्ताह, जिसमें छः सप्ताह बच्चे के जन्म से पहले हो, उसके लिए ही प्रसूति लाभ ले कसती है। कोई भी महिला प्रसूति प्रसुविधा की हकदार तभी होगी जब उसने बच्चे के जन्म के दिन के पहले बारह महीनों में कम से कम अस्सी दिन उसी मालिक के यहां काम किया हो जिससे वह प्रसूति प्रसुविधा की मांग कर रही है।
अगर किसी महिला की मृत्यु बच्चे को जन्म देते समय या उसके तुरन्त बाद होती है तो वह उस दिन तक प्रसुति प्रसुविधा की हकदार होगी। लेकिन इस दौरान अगर बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है बच्चे की मृत्यु के दिन तक महिला प्रसूति प्रसुविधा की हकदार होगी।

प्रसूति प्रसुविधा के दावे की प्रक्रिया और उसका भुगतान :-

प्रसूति प्रसुविधा की हकदार महिला लिखित में अपने मालिक से प्रसूति प्रसुविधा के भुगतान की मांग कर सकती है अथवा अपने दावे में उसे व्यक्ति का नाम लिख सकती है, जिसे यह भुगतान किया जा सकता है। उसे यह भी लिखित में देना होगा कि इस दौरान वह कहीं और काम नहीं करेगी।
अगर यह दावा गर्भावस्था के दौरान किया जाता है, तो उसे अपनी छुट्टी की तारीख जो बच्चे के जन्म की सम्भावित तारीख से छः सप्ताह की नहीं हो सकती, दावे में बताना होगा।
यदि कोई गर्भवती महिला ऐसी सूचना नहीं दे पाती है, तो वह बच्चे के जन्म होने के बाद जितनी जल्दी हो सके सूचना देगी अगर ऐसी कोई जारकारी प्रसूति प्रसुविधा की हकदार महिला द्वारा नहीं दी गई हो, तब भी निरीक्षक उसके भुगतान का आदेश दे सकता है।
सूचना के मिलने पर मालिक महिला को उस अवधि के लिए अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करेगा।
प्रसूति प्रसुविधा की आधी रकम बच्चे के जन्म के पहले और आधी रकम बच्चे के जन्म के 48 घंटे के अन्दर, सम्बन्धित कागजात/प्रमाण पत्र दिखाने पर मालिक द्वारा दी जाएगी।

किसी महिला की मृत्यु होने पर प्रसूति प्रसुविधा का भुगतान :-

प्रसूति प्रसुविधा की हकदार महिला की मृत्यु होने पर इसका भुगतान उसके द्वारा नामित व्यक्ति को किया जाएगा अथवा उसके वारिस को दिया जाएगा।

चिकित्सीय बोनस का भुगतान :-

अगर मालिक किसी प्रसूति प्रसुविधा की हकदार महिला को उसके बच्चे के जन्म से पहले और उसके बाद मुफ्त चिकित्सीय सुविधा नहीं देता है, तो वह उस महिला को 250 रुपये देगा।

गर्भपात आदि के दौरान छुट्टी :-

अगर किसी महिला का गर्भपात हो जाता है तो वह इससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिखाकर प्रसुति प्रसुविधा के अन्तर्गत गर्भपात के दिन से छः सप्ताह की छुट्टी और मजदूरी की हकदार हो जाएगी।

ऐसी महिला जो :-

- ❖ गर्भावस्था
- ❖ बच्चे के जन्म से सम्बन्धित
- ❖ समय से पहले शिशु के जन्म, या
- ❖ गर्भपात

से होने वाली बीमारियों से पीड़ित हो तो वह इस अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाली छुट्टी के अलावा अधिकतम एक महीने की छुट्टी के अलावा अधिकतम एक महीने की छुट्टी पाने की हकदार होगी।

बच्चे को दूध पिलाने के लिए छुट्टी :-

बच्चे के जन्म के बाद उस महिला को अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए काम के दौरान दो बार का समय मिलेगा जो नियमित आराम के समय के अलावा होगा। यह सुविधा बच्चे के 15 महीने के होने तक मिलेगी।

गर्भावस्था के कारण अनुपस्थिति के दौरान सेवा मुक्त :-

इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई महिला अपने काम से गर्भावस्था के कारण अनुपस्थित रहती है तो इसके कारण अथवा इस दौरान मालिक उसको सेवामुक्त नहीं कर सकता।
अगर फिर भी सेवा मुक्त कर दिया जाता है तो वह सेवा मुक्ति के 60 दिनों के अन्दर सम्बन्धित अधिकारी के पास दावा पेश कर सकती है।

सामान्य तौर पर गर्भवस्था के दौरान सेवा मुक्त करने पर भी महिला प्रसूति और चिकित्सीय बोनस की हकदार होगी। परन्तु जहां पर महिला को सेवा मुक्त उसके द्वारा किसी गलत या बुरे व्यवहार के कारण किया गया हो, वहां मालिक महिला को लिखित आदेश द्वारा प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस या दोनों से वंचित कर सकता है।

कुछ मामलों में मजदूरी में कटौती न किया जाना :-

प्रसूति प्रसुविधा की हकदार महिला की मजदूरी में से प्रसूति प्रसुविधा के आधार पर उसे दिए गए काम की प्रकृति अथवा उसे शिशु के पोषण के लिए मिलने वाले विश्राम के कारण मजदूरी में कोई कटौती नहीं की जाएगी।

प्रसूति प्रसुविधा का न मिलना :-

यदि कोई महिला प्रसूति प्रसुविधा के अन्तर्गत मिलने वाली छुट्टी के समय किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम करती है तो उसका प्रसूति प्रसुविधा का दावा समाप्त हो जाएगा।

मालिक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर सजा :-

प्रसूति प्रसुविधा का भुगतान न किए जाने पर अथवा किसी महिला को इस दौरान सेवा मुक्त करने पर, मालिक को तीन महीने से लेकर एक साल तक ही जेल या 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक क जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

निरीक्षकों की नियुक्ति :-

इस अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए कार्यों के लिए सरकार अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

निरीक्षकों के कर्तव्य एवं शक्तियां :-

❖ किसी स्थानीय या लोक प्राधिकारी, अन्य स्थान जहां पर महिलाएं काम करती हैं वहां जाकर रजिस्टर, रिकार्ड आदि का निरीक्षण करना।

❖ वहां काम करने वाले किसी व्यक्ति की जांच करना।

❖ मालिक से वहां काम करने वाले लोगों का नाम, पता, उनके वेतन, आवेदन, नोटिस आदि के बारे में जानकारी लेना।

❖ किसी रजिस्टर, नोटिस आदि की कॉपी लेना।

❖ यदि किसी महिला को प्रसूति लाभ या कोई अन्य रकम जिसकी वह हकदार है, नहीं मिलती है, या उसका मालिक इस अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाली छुट्टी के कारण अथवा इस दौरान उसे सेवा मुक्त कर देता है तो वह निरीक्षक को आवेदन देकर शिकायत कर सकती है। जो प्रसूति लाभ देने का आदेश दे सकता है सेवा मुक्त होने की दशा में जो वह उचित समझे वह आदेश दे सकता है।

कोई व्यक्ति जो निरीक्षक के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह 30 दिन के अन्दर नियुक्त किये गए अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। ऐसे अधिकारी का आदेश अन्तिम आदेश होगा।

अगर कोई व्यक्ति निरीक्षक को रजिस्टर अथवा रिकार्ड नहीं देता है या किसी व्यक्ति को निरीक्षक के समक्ष आने से रोकता है, तो उसे एक वर्ष तक की जेल व 5000 रुपये तक का जुर्माना भी हो कसता है।

महिला अपने नियोजन से 250 रुपये के चिकित्सीय बोनस पाने की हकदार है।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना - पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील - जनपद-

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ-

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/- (एक लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :-
   (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   (ग) स्त्री या बालक
   (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :-

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु नि:शुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता -

नाम -